UPPG010009402026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट) एक्ट/गैंगेस्टर एक्ट, प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी– अंकिता दुबे ,एच 0 जे0 एस 0– UP–1713
जे०ओ०कोड०–यू०पी० 1713
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–394/2026

नियाज आयु लगभग 37 वर्ष सुत सोहराब निवासी आममउ ककरहा थाना अंतू, जिला प्रतापगढ़

..... **आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

राज्य उ०प्र०

.....**अभियोगी**

मु०अ०सं०–657/2025
धारा–2/3 उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट
थाना–कोतवाली नगर, जिला–प्रतापगढ़।

दिनांक– 06.03.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **नियाज** की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या–657/2025, धारा–2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट, थाना–कोतवाली नगर, जिला–प्रतापगढ़ के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

3. **अभियोजन कथानक** के अनुसार मैं प्रभारी निरीक्षक सुभाष कुमार यादव थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ मय हमराह हे0 का0 संतोष कुमार, का० विकास यादव मय सरकारी वाहन बोलेरो यूपी 72 जी 0388 चालक हे0 का0 सुरेशचन्द्र दूबे के बिनावर देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, शान्ति व्यवस्था ड्यूटी आदि के दृष्टिगत मामूर था कि क्षेत्र की आम जनता में सम्भ्रान्त व्यक्तियों से जानकारी हुई किगैंगलीडर मस्सन पुत्र लतीफ निवासी ग्राम आम मऊ ककहरा थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ व गैंग के सदस्य 1. इरशाद पुत्र मेंहदी निवासी पूरे भरत थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ, 2. हसन अली उर्फ सोनू पुत्र लतीफ निवासी ग्राम आममऊ ककरहा थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़, 3. रियाज पुत्र शोहराब, 4. नसीब पुत्र हकीम, 5. रिजवान उर्फ बब्लू पुत्र मुस्तकीम 6. सहबान पुत्र मुस्तकीम, 7. अलीम उर्फ मोनू पुत्र लतीफ, 8. नियाज पुत्र सोहराब 9. इरफान पुत्र शौकत अली उर्फ ननकऊ 10, राहिल पुत्र इकलाख 11. साहिल पुत्र रिजवान 12. समीर पुत्र शमशाद 13. सहजाद पुत्र इलियास 14. तबरेज पुत्र जाबेद उर्फ गप्पी समस्त निवासीगण ग्राम आम मऊ ककहरा थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ, 15. शाहरूख पुत्र मुख्तार निवासी गढवारीपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढके साथ मिलकर एक संगठित अपराधिक गिरोह कायम कर रखा है जो जनपद स्तर पर सक्रिय है। थाना आकर उक्त के सम्बन्ध में अभिलेखो का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त गिरोह द्वारा दिनांक 17.06.25 को सुबह बिहारगंज बाजार थाना क्षेत्र कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ मे लाठी डण्डा अवैध असलहा से लैस होकर जान से मारने की नियत से ताबडतोड गोलियां चलाकर अमित उर्फ रिंकू को गोली मारकर घायल कर दिया तथा मजरूब के परिजन जब बचाव करने दोडे तो उनको भी जान से मारने की नियत से मार कर अधमरा कर दिए। गैंगलीडर एवं उसके सदस्य के उक्त कृत्य से बाजार में अफरातफरी मच गयी व दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है एवं वहाँ के दुकानदारों द्वारा भय से अपनी अपनी दुकानो का शटर बंद कर दिये उसके उपरान्त बादी को जान से मारने की धमकी भी दी गई जिस सबंध में

Digitally signed by ANKITA DUBEY
Date: 2026.03.04 15:00:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

वादी मुकदमा श्रीचन्द जयसवाल पुत्र रामसुन्दर जयसवाल निवासी बिहारगंज थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0 269/25 धारा 3(5)/351(2) /352/109/110 BNS व 7 सी.एल.ए. एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध धारा 3(5)/351(2) /352/109(1)/110 BNS व 7 CLA ACT व 30 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र संख्या 304/25, 304–ए/25 दिनांक 10.09.25 व 29.11.25 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। तत्पश्चात गिरोह का गैंगलीडर मस्सन व उसके सदस्य इरशाद द्वारा दिनांक 18.06.25 को काटीघाट पुल के पहले दाहिने तरफ ग्राम कल्याण देव के पास पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया पुलिस टीम द्वारा गैंगलीडर मस्सन को एक अदद पिस्टल 32 बोर,दो अदद खोखा कारतूस 32 बोर एवं सदस्य इरशाद को दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया एवं वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0 270/25 धारा 109 (1) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया जिसमें विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुध्द आरोप पत्र से 253/25 दिनांक 08.08.25 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया जो विचाराधीन माननीय न्यायालय है। उक्त गिरोह द्वारा यह आपराधिक कृत्य कर आर्थिक, भौतिक, दुनियाबी लाभ प्राप्त करने के लिए व लोक व्यवस्था छिन्न–भिन्न करने के उद्देश्य से किये गये है। उक्त गिरोह सरेआम जान से मारने का प्रयत्न, मारपीट व आपराधिक अभित्रास जैसे जघन्य अपराध कारित करने के आदतन अपराधी हैं। इनके भय व आतंक से जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध थाने या अन्य जगहों पर शिकायत करने का साहस नहीं कर पाता तथा इनके भय व आतंक से जनता का कोई भी व्यक्ति थाने में इनके विरूद्ध मुकदमा लिखवाने व माननीय न्यायालय में गवाही देने से डरता है। उक्त गिरोह का आपराधिक कृत्य उ०प्र० गिरोहबन्द एवं० समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि० 1986 की धारा 2 (ख) के खण्ड (1) व 11 की परिधि में आता है। जो धारा 3 में दण्डनीय अपराध है। इस गिरोह के गैंग लीडर व सदस्यों का स्वच्छन्द रहना जनहित में ठीक नहीं है। उक्त गिरोह के द्वारा किये गये अपराधिक कृत्य उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 की धारा 2(ख) की उपधारा (1), (XI) की परिधि में आता है, जो उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत दण्डनीय अपराध है। गैंग के गैंग लीडर व गैंग के सदस्यों का समाज में स्वछन्द रहना जनहित में ठीक नहीं है। पूर्व में गैंग के विषय में जानकारी होने पर गैंगलीडर मस्सन पुत्र लतीफ निवासी ग्राम आम मऊ ककहरा थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ व गैंग के सदस्य 1 इरशाद पुत्र मेंहदी निवासी पूरे भरत थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ, 2. हसन अली उर्फ सोनू पुत्र लतीफ निवासी ग्राम ममऊ ककरहा थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ, 3. रियाज पुत्र शोहराब, 4. नसीब पुत्र हकीम, 5. रिजवान उर्फ बब्लू पुत्र मुस्तकीम 6. सहबान पुत्र मुस्तकीम, 7. अलीम उर्फ मोनू पुत्र लतीफ, 8. नियाज पुत्र सोहराब 9. इरफान पुत्र शौकत अली उर्फ ननकऊ 10. राहिल पुत्र इकलाख 11. साहिल पुत्र रिजवान 12. समीर पुत्र शमशाद 13. सहजाद पुत्र इलियास 14. तबरेज पुत्र जावेद उर्फ गप्पी समस्त निवासीगण ग्राम आम मऊ ककहरा थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़, 15. शाहरूख पुत्र मुख्तार निवासी गढवारीपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ उपरोक्त का डोजियर आपराधिक इतिहास व अन्य प्रपत्र को गैंग चार्ट का अनुमोदन कराने हेतु, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय (नोडल अधिकारी) को प्रेषित किया गया उनके द्वारा नियमानुसार जरिये उचित माध्यम अनुमोदन हेतु श्रीमान जिलाधिकारी महोदय प्रतापगढ़ को भेजा गया था।

4. **अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार** लिया गया है कि प्रार्थी पर लगाया गया आरोप संज्ञेय एंव अजामनतीय प्रकृति का है। प्रार्थी की गिरफतारी की पूर्ण आशंका है जिस कारण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र की आवश्यकता हुई। प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमे में गलत तथ्यो के आधार पर फर्जी ढंग से झूठा फसाया गया है जबकि प्रार्थी पूर्णतयः निर्दोष है। प्रार्थी ने कानूनन या वाकयातन कोई अपराध कारित नहीं किया है। उक्त गैंग का प्रार्थी सक्रिय सदस्य है कितुं प्रथम सूचना रिपोर्ट में आम जनता के किसी भी व्यक्ति का नाम का उल्लेख नही किया गया

है। प्रार्थी के पास से ऐसी कोई संपत्ति बरामद नहीं की गयी है जो अपराध से अर्जित की गयी है जिसका कोई स्पष्टीकरण प्रार्थी के पास न हो। प्रार्थी के विरूद्ध कभी भी किसी भी न्यायालय द्वारा कोई गुण्डा ऐक्ट की कार्यवाही व किसी भी प्रकार से निरोधात्मक कार्यवाही नही की गयी है। गैंग चार्ट मे अंकित मुकदमा अ.स. 269/25 धारा 3(5)/351(2)/352/109(1)/110 बीएनएस एंव 7 सीएलए ऐक्ट व धारा 30 आर्मस ऐक्ट थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ मे गलत तथ्यो के आधार पर रंजिशन फंसाया गया है। उक्त मुकदमा राजनैतिक प्रभाव के चलते दर्ज कराया गया जिसमे प्रार्थी जमानत पर है जिसमे प्रार्थी पर फायर करने का आरोप अंकित नही किया गया हैं। प्रार्थी कभी का सजायाप्ता नहीं है। और न ही गैंग चार्ट में अंकित मुकदमे के अतिरिक्त कोई आपराधिक इतिहास है। प्रार्थी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में कार्यरत है जिसका रैक नंबर 195130214 जो वर्तमान समय में आफिस आफ दी कमान्डेंट 197 बीएन सीआरपीएफ जनपद पश्चिमी सिन्ह भूमि झारखण्ड में कार्यरत है। प्राथमिकी दर्ज करने के समय भी झारखण्ड में ही कार्यरत था। प्रार्थी सरकारी नौकरी में उ.प्र. राज्य के बाहर बाहर ही रहता है। ऐसी स्थित मे प्रार्थी का किसी आपराधिक गिरोह का सदस्य होना संभव नही है। प्रार्थी का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रार्थी ने एक अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनउ में प्रस्तुत किया था जो गुण दोष के आधार पर निरस्त नही हुआ है वल्कि पोषणीयता के आधार पर नकारा गया है इसके अतिरिक्त न तो कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है। अन्त में अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. **आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता** द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में यह कथन किया गया कि अभियुक्त किसी संगठित गिरोह का गैंग सदस्य नहीं है। अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष हैं। प्रार्थी के पास से ऐसी कोई संपत्ति बरामद नहीं की गयी है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। गैंग चार्ट में वर्णित मुकदमें में अभियुक्त को जमानत मिल चुकी है और अग्रिम जमानत दिये जाने का निवेदन किया गया है।

6. **विद्वान विशेष लोक अभियोजक** द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया गया है कि अभियुक्त का एक संगठित सक्रिय गिरोह है और गैंग का सदस्य है। अभियुक्त सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर बिहारगंज बाजार में जान से मारने की नियत से ताबड़तोड़ गोलिया चलाकर चोटहिल अमित उर्फ रिंकू को गोली मारकर घायल करने एवं परिवारी जन द्वारा बीच बचाव करने पर उनको भी जान से मारने की नियत से मार कर अधमरा करने एवं बाजार में आतंक और भय का माहौल पैदा करने का आरोप है। अभियुक्त अपने व अपने गैंग के सदस्य के अनुचित दुनियावी आर्थिक, भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से मारपीट जैसा जघन्य अपराध कारित किया है। अभियुक्त का यह अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया तो वह पुनः समान प्रकृति का अपराध कारित करेगा। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

7. वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध गैंगचार्ट में एक मुकदमा दर्शाया गया है–

1– मु0 अ 0 सं0 269/2025, धारा–3(5), 351(2), 352, 109(1), 110, बी0 एन 0 एस 0, व 7 सी.एल.ए एक्ट व 30 ए एक्ट।

8. सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्ध गैंग चार्ट में एक मुकदमा दर्शाया गया है तथा अभियुक्त को संगठित गिरोह का सदस्य बताया गया है। अभियुक्त पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर बिहारगंज बाजार में जान से मारने की नियत से ताबड़तोड़ गोलिया चलाकर चोटहिल अमित उर्फ रिंकू को गोली मारकर घायल करने एवं परिवारी जन द्वारा बीच बचाव करने पर उनको भी जान से मारने की नियत से मार कर अधमरा करने एवं बाजार में आतंक और भय का माहौल पैदा करने का आरोप है। आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि वह सरकारी कर्मचारी होने के कारण झारखण्ड में ही कार्यरत था। ऐसे में घटना कारित करना तथा गिरोह का सदस्य होना सम्भव नहीं है। किन्तु इसके समर्थन में विभाग की उपस्थिति पंजिका आदि प्रस्तुत नहीं की गयी है। अभियुक्त अपने व अपने गैंग के सदस्य के अनुचित दुनियावी आर्थिक, भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने

के उद्देश्य से मारपीट जैसा जघन्य अपराध कारित किया है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है।

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धारा–19(4) (B) के अन्तर्गत ऐसा कोई समाधानप्रद तथ्य आवेदक/ अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है कि गैंग चार्ट में वर्णित अपराध उसके द्वारा नहीं किया गया है और जमानत पर रिहा किये जाने पर पुनः ऐसा अपराध कारित नहीं किया जायेगा।

09. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जय प्रकाश सिंह बनाम स्टेट आफ बिहार, ए.आई.आर. 2012 सुप्रीम कोर्ट 1676 में निम्न विधि प्रतिपादित की गयी है:–

"13. There is no substantial difference between Section 438 and 439 Cr.P.C. so far as appreciation of the case as to whether or not a bail is to be granted, is concerned. However, neither anticipatory bail nor regular bail can be granted as a matter of rule. The anticipatory bail being an extraordinary privilege should be granted only in exceptional cases. The judicial discreation conferred upon the court has to be properly exercised after proper application of mind to decide whether it is a fit case for grant of anticipatory bail.

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितयों व मामले की गम्भीरता को देखते हुये अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **नियाज** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–657/2025, धारा–2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट, थाना–कोतवाली नगर, जिला–प्रतापगढ़ में प्रस्तुत **अग्रिम** जमानत प्रार्थना पत्र **खारिज** किया जाता है।

दिनांक–06.03.2026

(**अंकिता दुबे**)
विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट)/
गैंगेस्टर ऐक्ट, प्रतापगढ़।
प्रतापगढ़।